झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 03/त0वि0 –04/17 त0शि0 - 21/बजट /राँची, दिनांक– 27/03/2023

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में गैर सरकारी संस्था PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) के साथ MOU हस्ताक्षरित होने के पश्चात एकरारनामा के आलोक में 08 नये पोलिटेकनिक संस्थानों का संचालन के लिए सहायक अनुदान के रूप में कुल रू0 77,60,00,000/– (रू0 सतहत्तर करोड़ साठ लाख) मात्र की भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक 831 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को शिथिल करते हुए झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका 245 के तहत मनोनयन के आधार पर PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) का चयन कर Foundation के सहयोग से विभागान्तर्गत 08 नये पोलिटेकनिक संस्थान यथा खूँटी, चतरा, गोडड़ा, हजारीबाग, लोहरदग्गा, जामताड़ा, बगोदर (गिरिडीह) एवं पलामू जो विभाग द्वारा निर्मित है, की संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के निमित विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 24/योजना दिनांक 22.03.2023 के द्वारा PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) के साथ MOU हस्ताक्षरित होने के पश्चात एकरारनामा के आलोक में 08 नये पोलिटेकनिक संस्थान यथा – खूँटी, चतरा, गोडड़ा, हजारीबाग, लोहरदग्गा, जामताड़ा, बगोदर (गिरिडीह) एवं पलामू की संचालन हेतु सहायक अनुदान के रूप में रू0 77,60,00,000/– (रू0 सतहत्तर करोड़ साठ लाख) मात्र की राशि की विमुक्त के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) को राशि झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से विमुक्ति हेतु कुल रू0 77,60,00,000/– (रू0 सतहत्तर करोड़ साठ लाख) मात्र की भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–004–अनुसंधान–उप शीर्ष–A5–गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य ईकाई के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से रू0 77,20,00,000/– विकलनीय होगा।
(विपत्र कोड–43S220300004A5010679)
(ख) उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–A5–गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य ईकाई के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से रू0 40,00,000/– विकलनीय होगा।
(विपत्र कोड–43S220300796A5010679)

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होगें। राशि निकासी के पश्चात् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक मुश्त राशि कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के पी0एल0 खाता हेतु शीर्ष 8448 में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए जमा करायेंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात् ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।

5. PREJHA Foundation को राशि की विमुक्ति हेतु विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जायेगा। आदेशोपरान्त PREJHA Foundation के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में आवश्यकतानुसार कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए PREJHA Foundation को राशि उपलब्ध करायेगें।
6. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक 245/बजट दिनांक 30.03.2022, 172/बजट दिनांक 09.03.2023 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नही प्राप्त किया गया है।
8. स्वीकृत राशि का दूसरे मदो में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये।
9. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम 339–344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष 8448 से आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जायेगी।
10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
12. यह राशि State Scheme Code-1286 से संबंधित है।
13. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायगी।
14. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की परामर्शानुसार झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा PREJHA Foundation को राशि, एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के उपरान्त तथा एकरारनामा में अंकित शर्त्तो का अनुपालन करने संबंधी शर्त्त के साथ, हस्तांतरित किया जायेगा।
16. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
17. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
18. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

27/3/23

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–03/त0वि0 –04/17 त0शि0 – 21/बजट /राँची, दिनांक– 27/03/2023
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–03/त0वि0 –04/17 त0शि0 – 21/बजट /राँची, दिनांक– 27/03/2023
प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड,/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची/बजट पदाधिकारी/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation), राँची/लेखा शाखा/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)
प्रशाखा पदाधिकारी

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव